न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : 75 / 2015 राजस्व अपील

1. ओमप्रकाश पुत्र पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी घाटा बालाजी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दौसा ।
2. तहसीलदार तहसील सिकराय।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दौसा दिनांक 24.8.2009 जो प्रकरण उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश प्रकरण सं0 33/1993 में पारित किया गया है।

उपस्थिति : श्री सतीश पारीक, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांक : 9.10.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय में स्थित खसरा नं0 238 में वन भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर तहसीलदार सिकराय ने प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दौसा में भेजा। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तामील कराये तथा बिना सुनवाई व सबूत का अवसर दिये ही दिनांक 24.8.2009 को भू—राजस्व अधिनियम की धारा 91 एवं वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के तहत एक माह के सिविल कारावास एवं 1,00,000 रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 24.8.2009 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा दी गयी झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है। जबकि अपीलान्ट मुन्शीराम, मांगेराम चैरिटेबल ट्रस्ट बालाजी का मैनेजर नहीं है तथा अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा भी नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दौसा का निर्णय दिनांक 24.8.2009 को निरस्त फरमावे।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

जवाब बहस में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि पटवारी हल्का किरोडी द्वारा ग्राम मीना सीमला के खसरा नं0 238 वन विभाग की भूमि पर मुन्शीराम, मांगेराम चैरिटेबल ट्रस्ट बालाजी मार्फत मैनेजर ओमप्रकाश पुत्र पुरूषोत्तम लाल जाति ब्राह्मण निवासी बालाजी द्वारा 45X43= 1935 वर्ग मीटर पर बाउण्ड्री लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को धारा 91 एल0 आर0 एक्ट 1956 के अन्तर्गत बार–बार नोटिस दिये जाने व तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उक्त निर्णय दिनांक 24.8.2009 पारित किया गया है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दौसा से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। जैसा कि अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अपीलान्ट वर्तमान में न तो उक्त मुन्शीराम, मांगेराम चैरिटेबल ट्रस्ट बालाजी का मैनेजर है और न ही प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रण है। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण सहायक वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दौसा को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सहायक वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दौसा का निर्णय दिनांक 24.8.2009 निरस्त किया जाकर प्रकरण सहायक वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दौसा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि खसरा नं0 238 में 1935 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण पाया जाने पर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 9.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा